

टेली लॉ

वंचित लोगों तक पहुंच

कानूनी सलाह अब आपके गांव तक

वर्ष 2017 में भारत सरकार ने टेली लॉ कार्यक्रम शुरू किया था। यह एक प्रभावी और विश्वसनीय ई-इंटरफ़ेस और प्री-लिटिगेशन तंत्र है जिसका उद्देश्य जरूरतमंद और हाशिए पर जी रहे व्यक्तियों को टेलीफोन या वीडियो कॉन्फ्रैंसिंग सुविधाओं के माध्यम से पैनल वकीलों के साथ कानूनी सलाह और परामर्श देना है। ये सुविधाएं ग्राम पंचायतों में कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) पर या टेली-लॉ मोबाइल ऐप के माध्यम से उपलब्ध हैं।

मुफ्त कानूनी सलाह और परामर्श

जोड़ना (कनेक्ट)

01

टेली-लॉ मोबाइल ऐप
डाउनलोड करें या निकटतम
कॉमन सर्विस सेंटर
(सीएससी) पर जाएं।

जोड़ना (कनेक्ट)

02

टेलीफोन या वीडियो
कॉन्फ्रैंसिंग सुविधा के
माध्यम से सीधे कानूनी
सलाह/परामर्श के लिए
पैनल वकील की
उपलब्धता।

सलाह(एडवाइस)

03

सभी दी गई सलाहें
गोपनीय रहती हैं

सभी नागरिकों के
लिए निःशुल्क सुविधा

लागत (कॉस्ट)

04

आवश्यकता: कानूनी सलाह और कानूनी जानकारी



कार्यस्थल पर महिलाओं की गरिमा का अपमान करने के उद्देश्य से बोले जाने वाले शब्द, कृत्य, इशारे, महिलाओं का अशोभनीय चित्रण उनके यौन उत्पीड़न के अंतर्गत आता है।



समान काम के लिए समान वेतन, मातृत्व लाभ लेते हुए न्यूनतम वेतन, गर्भावस्था का चिकित्सीय समापन, प्रसव पूर्व और बाद में दुरुपयोग की रोकथाम



बाल विवाह की रोकथाम, यौन अपराधों से बच्चों की सुरक्षा (पॉक्सो), बाल श्रम/बंधुआ मजदूरी, शिक्षा का अधिकार (आरटीई)



भू-विवाद, किरायेदारी और पट्टा, संपत्ति और विरासत संबंधी अधिकार



अनुसूचित जाति और जनजाति (एस.सी./एस.टी.) के खिलाफ अत्याचार



दहेज, पारिवारिक विवाद, तलाक, घरेलू हिंसा और भरण-पोषण




विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत पात्रता एवं लाभ



एफआईआर दर्ज करना, गिरफ्तारी, जमानत

कार्यान्वयन प्रक्रिया



उपयोग करने में आसान

पंचायत स्तर पर स्थित सी.एस.सी. पर उपलब्ध वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग/टेलीफोनिक सुविधाओं के माध्यम से भारत के नागरिकों के लिए टेली-लॉ सेवा उपलब्ध है। नागरिकों के लिए टेली-लॉ मोबाइल ऐप भी है।

भाषा

22 सूचित भाषाओं में आवेदन।

अग्रिम पंक्ति के पदाधिकारी

- ग्राम स्तरीय उद्यमी (वीएलई) जो सीएससी चलाते हैं, ये पैनल वकीलों के साथ लाभार्थियों के ऑनलाइन पंजीकरण की सुविधा प्रदान करते हैं।
- आम लोगों और टेली-लॉ सेवा के बीच की दूरी कम करने और टेली-लॉ के बारे में सार्वजनिक जागरूकता पैदा करने के लिए पैरा लीगल वालंटियर्स (पीएलवी) को सहयोगी के रूप में तैनात किया गया है।
- लोगों को कानूनी सलाह और परामर्श प्रदान करने के लिए पैनल वकीलों को तैनात किया गया है।
- राज्य समन्वयक राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में टेली-लॉ कार्यक्रम के प्रभावी कार्यान्वयन में विभिन्न हितधारकों से संपर्क प्रबंधन करते हैं।

वास्तविक डेटा

पंजीकृत मामलों की प्रकृति और सलाह के लिए वास्तविक डेटा लेने के लिए एक समर्पित टेली-लॉ डैशबोर्ड तैयार किया गया है। यह डेटा प्रयास डैशबोर्ड पर भी उपलब्ध है।

नागरिक टेली-लॉ
मोबाइल ऐप



► अधिवक्ताओं और नागरिकों के लिए अलग मोबाइल ऐप उपलब्ध है।

टेली लॉ की गतिविधियाँ

जागरूकता एवं प्रशिक्षण सत्र



मीडिया में टेली लॉ

